संख्याः २५|४। /सात लाई०एस०-४८/ व्यव०/२०२५-२६/सा० निर्देश/विज्ञप्ति प्रेषक,

> आबकारी आयुक्त, तत्तराखण्ड।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांकः मार्च, 19 ,2025

विषय:— वर्ष 2025—26 व 2026—27 की अवधि हेतु आसवनी, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रूवरी, बाण्ड अनुज्ञापन, एफ०एल०-2, सी०एल०-2 एवं एफ०एल०-2(ओ) आदि के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।

महोदय.

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025-04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025-31.03.2026 तक) व 2026-27 (दिनांक 01. 04.2026-31.03.2027 तक) हेतु सी०एल०-2 एवं एफ०एल०-2/2 (ओ) का अनुज्ञापन निर्गत किये जाने है। उक्त अनुज्ञापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किये जाते

1. किसी भी आवेदक (राज्य का कोई भी मूल/ स्थायी निवासी) द्वारा एफ०एल०-2 गोदाम हेतु प्रदेश में किसी भी जनपद में आवेदन किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी आवेदक को प्रदेश में मात्र दो एफ०एल०-2 अनुज्ञापन निर्गत किये जाएगें अर्थात राज्य का कोई भी मूल / स्थायी निवासी (अर्ह आवेदक) दो विभिन्न जनपदों में दो

एफ०एल०-2 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को नही

दिए जाएंगे।

 थोक मिदरा अनुज्ञापन (एफ०एल०–2) हेतु आवेदन कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून में निर्धारित समय सारणी (जो कि विभिन्न प्रतिठिष्त दैनिक समाचार में प्रकाशित) के अनुसार स्वीकार किया जाएगा, जिसे जाँच/स्क्रूटनी उपरांत आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्गत किये जा सकेगे।

 थोक मदिरा अनुज्ञापन एफ०एल०–2 हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप 1) का मय शपथपत्र (प्रारूप 2) कार्यालय आबकारी आयुक्त / ऑनलाइन पोर्टल पर इच्छुक अर्ह आवेदक वांछित दस्तावेज यथा हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञापन शुल्क के बराबर की धनराशि अनिवार्य होगी, आवेदक वांछित हैसियत प्रमाण पत्र के एवज के

इसी धनराशि के बराबर एफ०डी०आर० संलग्न कर सकेंगे।

5. उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी स्थायी / मूल निवासी एफ०एल०—2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष में देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन-रिफंडेबल होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

6. एफ०एल०-2 हेतु आवेदन दो लोग संयुक्त रूप से भी कर सकते है। आवेदन के समय आवेदक यह भी स्पष्ट करेगा कि उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत श्रेणी में है अथवा फर्म

W

/AOP/LLP/PVT.LTD. के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से एफ०एल०-2 अनुज्ञापन प्राप्त किया हो व वित्तीय वर्ष के मध्य में कोई एफ०एल०-2 अनुज्ञापी फर्म/AOP/LLP/PVT.LTD. के रूप में जुडता/जोडता है तो उक्त की सूचना समस्त वांछित अभिलेखों व औपचारिकताओं सहित तत्काल कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

7. एफoएलo-2 से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, आरoटीoडीo की बिक्री अनुमन्य होगी।

8. एफ०एल०-2/सी०एल०-2 के गोदाम का परिसर आसवनी/बॉटलिंग ईकाई के परिसर के अंदर एवं सन्निकट नहीं होगा।

9. एफ॰एल॰-2 अनुज्ञापन विभिन्न आपूर्तक निर्माता ईकाईयों के संबंधित जनपद में विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक बिक्री किए गए मदिरा ब्राण्डस (Highest Selling Brands) की तथा साथ ही फुटकर अनुज्ञापियों की मांग के अनुरूप मदिरा ब्राण्डों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रत्येक एफ०एल०—2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति के रूप में एक लाख रूपये की एफ०डी०आर० (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आर०बी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा जारी) जमा

करनी होगी, जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम प्रतिश्रुत होगी।

11. राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेंतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी / मूल निवासियों को सी०एल०—2 अनुज्ञापन दिए जा सकेगें। उन्हें सम्बन्धित निर्माता इकाई से सम्बन्धित जनपद हेतु सी०एल०—2 अनुज्ञापन संचालन के लिये अधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- 12. सी०एल०—2 अनुज्ञापन हेतु एक आसवनी एक जनपद एक आवेदक के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश की आसवनियाँ किसी जनपद में सी०एल०—2 अनुज्ञापन हेतु किसी एक अर्ह व्यक्ति को सी०एल०—2 संचालन हेतु अधिकार पत्र दे सकेगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी भी आवेदक को प्रदेश में मात्र एक सी०एल०—2 अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा।
- 13. थोक मंदिरा अनुज्ञापन सी०एल०—2 हेतु आवेदन पत्र (प्रारूप 3) मय शपथपत्र (प्रारूप 4) कार्यालय आबकारी आयुक्त / ऑनलाइन पोर्टल पर इच्छुक अर्ह आवेदक वांछित दस्तावेज यथा हैसियत प्रमाण पत्र / धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञापन शुल्क का 15% अनिवार्य होगी, आवेदक वांछित हैसियत प्रमाण पत्र के एवज के इसी धनराशि के बराबर एफ०डी०आर० संलग्न कर सकेंगे।
- 14. प्रत्येक सीoएलo—2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एक लाख रूपये की एफoडीoआरo के रूप में जमा करनी होगी, जो कि आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम प्रतिश्रुत होगी। प्रत्येक सीoएलo—2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एफoडीoआरo (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आरoबीoआईo द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा जारी) के रूप में जमा करनी होगी, जो कि आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत होगी। कोई भी शुल्क जमा करने के उपरांत वापस किए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

15. सी०एल०—2 अनुज्ञापन देशी मदिरा के निर्माताओं/निर्माताओं के विधिक उत्तराधिकारी/रक्त सम्बन्धी तथा स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किये

जायेंगे।

16. एफ०एल०-2/एफ०एल०-2(0)/सी०एल०-2 के अनुज्ञापन की स्वीकृति के पश्चात आवेदक, आवेदन पत्र सिहत समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ अनुज्ञापन स्वीकृति के आदेश की मूलप्रति के साथ एफ०एल०-2/सी०एल०-2 गोदाम पिरसर की चौहद्दी एवं जियो लोकेशन को संबंधित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी

में प्रस्तुत करेगा तद्पश्चात सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा मौका मुवायना करने के उपरांत आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को एफ०एल०-2/सी०एल०-2 अनुज्ञापन जारी किए जाने हेतु समयबद्ध ढंग से संस्तुति सहित आख्या कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेंगे। तदोपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा रवीकृति पश्चात अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जाएगा और संबंधित जनपद हेतु एफ०एल०-2/सी०एल०-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाएगे।

17. एफoएलo-2/सीoएलo-2 अनुज्ञापन हेतु प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष मे देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन-रिफंडेबल होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

18. एफ०एल०-2/एफ०एल०-2(O)/सी०एल०-2 तथा अन्य समस्त थोक अनुज्ञापन

अग्निशमन संयत्र से सुसज्जित किये जाने अनिवार्य होंगे।

19. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025—26, 2026—27 व 2027—28 के नियम—12.1 व 12.2 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन, आर0टी0डी0 व देशी मदिरा में क्रमशः पूर्ववत् व्यवस्था के तहत मदिरा उत्पादन के स्तर पर सुरक्षा होलोग्राम चस्पा किये जायेंगे।

20. वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत समस्त आसवनी, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रूवरी, बाण्ड अनुज्ञापी आदि प्रत्येक दशा में दिनांकः 25.03.2025 तक वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु

ई०डी०पी०/लेबल अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

21. एफ०एल०–2/सी०एल०–2/एफ०एल०–2(O) के अनुज्ञापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। सम्पर्क अधिकारी श्री राजीव सिंह चौहान, सहायक आबकारी आयुक्त दूरभाष संख्याः 9837059675 एवं श्री विनोद ढौंडियाल, व्यैक्तिक अधिकारी दूरभाष संख्याः 8126222789 रहेंगे।

एफ०एल०-2/सी०एल०-2/एफ०एल०-2(0) के अनुज्ञापन हेतु समय सारणी निम्नवत है-

क्र० सं०	विवरण	दिनांक
1.	एफ०एल०–2/सी०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून में आवेदन पत्र जमा किए जाने की तिथि	22.03.2025
2.	एफ०एल०-2/सी०एल०-2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन किए जान का आतम	24.03.2025
	तिथि एफ०एल०–2 (ओ) अनुज्ञापन हेतु आवेदन किए जाने की तिथि	24.03.202
3.	एफ०एल०-2/सी०एल०-2/एफ०एल०-2 (ओ) अनुज्ञापन हेतु स्वीकृति	
4.	गुन्स किए जाने की विशि	25.03.2025
5.	एफ॰एल॰–2/सी॰एल॰–2 अनुज्ञापन जारी किए जाने की अंतिम तिथि	27.03.202

नोट:
1. यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

2. उपरोक्त विवरण तथा आबकारी नीति की अधिसूचना विभागीय पोर्टल

http://uttrakhandexcise.org.in/ पर देखा जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 176 / XXIII-1 / 2025-04 (01) / 2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एफ०एल०-2/2(ओ)/सी०एल०-2 अनुज्ञापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश आबकारी राजस्व हित में निर्धारित आबकारी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 176 / XXIII-1 / 2025—04 (01) / 2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में एफ०एल०-2/2 (ओ)/सी०एल०-2 अनुज्ञापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

> (हरिचन्द्र सेमवाल) आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड।

25162-67 /सांत लाई०एस०–48/व्यव०/2025–26/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून,तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

समस्त अपर / संयुक्त / उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड ।

3. सहायक आबकारी आयुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

5. निदेशक NIC, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित जनपद की राजस्व सूची, सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी को www.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अनुज्ञापियों को सूचनार्थ।

(हरिचंन्द्र सेमवाल) आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड।

देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों (सी०एल०-2) हेतु शपथ पत्र का प्रारूप (वर्ष 2025-26 हेतु)

1.	यह कि शपथकर्तापुत्र/पुत्री/पत्नी
	निवासी अायु द्वारा
	जनपद के लिये सी०एल०-2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2.	यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है।
3.	यह कि शपथकर्ता ने देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु संबंधित आसवनी
	से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी सत्यापित प्रति
	आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
4.	यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
5.	यह कि शपथकर्ता द्वारा जनपद में थोक अनुज्ञापन के लिये केवल एक आवेदन
	किया है।
6.	यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली
	2025 एवं सुसंगत प्राविधानों का पालन करेगा।
7.	यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
В.	यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रदेश में मात्र एक सी०एल०-2 अनुज्ञापन का संचालन किया जाएगा।
9.	यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई
	आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकों संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि
	एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित
	नहीं किया गया है।
10.	यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी
	आपराधिक प्रष्ठभमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या
	महिला हो। संयक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के
	प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ
	अञ्चल उनके आपराधिक कत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
14	गर कि भाषाकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उस बकाय दारा का
	काली सची में सम्मिलत या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमविलों के प्राविधीनी क
	अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
12	कर कि समापन में किसी देशी फटकर मंदिरा दकान का अनुजापी नहीं है।
13	कर के लागान में जाएगोधाश्रम है और आवश्यक निधि रखता है यो काराबार के संवादान के राज
	क्या है जिसका ह्योरा यदि अपाक्षित होगा ता लाइसर आजनगर कर
	उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र में धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की
	ि क्रिक्ट के गाए गंबान का मेरित किया है।
14	क्रिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधया ने लित
. TOUR	, यह कि शपथकता सिक्रय रूप से असी गांजपर प्राप्त पर से जिल्ला हो जाता है कि वह सिक्रय रूप से नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सिक्रय रूप से

असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विक्रेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।

15.यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 के नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 15 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाया

दिनांक	393	(हस्ताक्षर शपथकर्ता)
स्थान		

सी०एल०-2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक

नला —	लाइसेंस क्रमांक —	
1. फर्म/AOP/LLP/PVT.LTD	o. / कंपनी का नाम	
2. आवेदक का नाम		
 पिता / पित का नाम 		आवेदक का
4. आयु		नवीनतम प्रमाणित
 जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष 	//	फोटोग्राफ
 लिंग-पुरुष / महिला 		
7. फर्म/कंपनी/आवेदक का पैन		
 अाधार कार्ड नम्बर 		
 आई०टी०आर० का विवरण 		
10. TIN / GST नम्बर		
11. Email ID (ईमेल आईडी)		
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)		
13. आवेदक का स्थाई पता		
मकान नम्बर		-
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक		
थाना / पटवारी पट्टी		
तहसील/उप तहसील		*
जिला		
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)		6
मोबाईल नम्बर		
14. सी०एल०—2 का विवरण		
मकान नम्बर		
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक.		
थाना / पटवारी पट्टी		
तहसील/उप तहसील		
जिला		
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)		14

मोबाईल नम्बर
चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण
15. (क) आवेदन का विवरण —
i. (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में)(शब्दों में)(शब्दों में)
ii. धरोहर धनराशि रूपये (अंको में)(शब्दों में)(शब्दों में)
iii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में)(शब्दों में)
16. जमा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड
राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को-ऑपरेटिव
बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार
किये जायेंगे। (दिनांक 20.03.2024 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):-
(1) जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट का विवरण:-
(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
(ब) बैंक का नाम
(य) और नाम्न की गणि
(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि के ट्राप्ट का विकास
(2) आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट का विवरणः—
(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
(अ) बेंक का नाम
(स) बैक ड्राफ्ट की राशि
(3) आवेदन पत्र के साथ सलग्न पहचान व अन्य स सम्बान्धत आमलखा का विवरणः—
1
2
3
4
स्थान
दिनांक
अपनेदक के इस्ताक्षर /अंगुठे का निशान (सतिथि)

W

आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

मैं आवेदक घोपणा करता / करती हूँ
कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण
असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त करने व धरोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई
आपितत नहीं होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता
है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की
धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय
अपराध है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अनुज्ञापन हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक
नियमावली—2025 के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकारी
कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि भी समयान्तर्गत जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि वांछित धनराशि तथा
प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम पर निरस्त किया जाता है, तो मुझे कोई
आपत्ति नहीं होगी।
स्थान

स्थान..... दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमति / कुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री	
	सी०एल०—2	
	आबकारी नीति विषयक नियमावली—2025 में निर्धारित प्रप	
राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे रि	जिस्टर के क्रमांक पर दर्ज किया गया।	
दिनांक		
	कार्यालय की सील	
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा		
अधिकत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय		

थोक अनुज्ञापनों एफ०एल०-2(O) हेत शपथ पत्र का प्रारूप

	(वर्ष 2025-26 हेतु)
1.	. यह कि शपथकर्तापुत्र/पुत्री/पत्नी
	निवासीआयु द्वारा
	जनपद के लियेथोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन किया है।
2.	यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
3.	यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के प्राविधानों
	का पालन करेगा।
4.	यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय
	आबकारी नीति) के नियम संख्या - 19.1 में वांछित समस्त लाइसेंस की शर्तों को पूर्ण करता है तथा इसे पूर्ण नहीं किए
	जाने की दशा में यदि मेरा आवेदन या अनुज्ञापन दोनों निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5.	यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
6.	यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है
	तथा उनकों संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत
	अथवा किसी संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
7.	यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या
	जो किसी संक्रामक रोग से प्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910
	की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पति आदि के कब्जे से पाये गये
	अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
8.	यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित
	या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित
	नहीं किया गया है।
9.	यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी विदेशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
	यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का
	प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने
	वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड
	कर दी है और आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
11.	यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन
	प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक
	गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक
	व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विकेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।
12.	यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक
	नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी
	अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 176 / XXIII-1 / 2025-04 (01) / 2025 देहरादन दिनांक: 05. मार्च, 2025
	के नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों
	का पालन करेगा।
	उपरोक्त कमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता
का अनु	ज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।
•	
दिनांक	(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

No.

एफ०एल०-2 (ओ) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक

1. फर्म / AOP / LLP / PVT. LTD. / कंपनी का नाम	आवेदक का
2. आवेदक का नाम	नवीनतम प्रमाणित
 पिता / पित का नाम 	फोटोग्राफ
4. आयु	
 जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष// 	
6. लिंग—पुरूष / महिला	
7. फर्म/कंपनी/आवेदक का पैन नम्बर	
8. आधार कार्ड नम्बर	
9. आईoटीoआरo का विवरण	
10. TIN / GST नम्बर	
11. Email ID (ईमेल आईडी)	
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)	
13. आवेदक का स्थाई पता	
मकान नम्बर	
नगर/मोहल्ला/ग्राम/तोक	
थाना / पटवारी पट्टी	
तहसील/उप तहसील	
जिलाउत्तराखण्ड।	
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)	
मोबाईल नम्बर	
14. एफ०एल०–2 (ओ) का विवरण	
मकान नम्बर	
नगर/मोहल्ला/ग्राम/तोक	
थाना / पटवारी पट्टी	
तहसील/उप तहसील	
जिलाउत्तराखण्ड।	

दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)
मोह्यर्डल नम्बर
चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण
15. आवेदन का विवरण —
i.(दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) अनुज्ञापन शुल्क रूपये
(अंको में)(शब्दों में)
(शब्दों में)
ii.प्रतिभूति धनराशि रूपये
(अंको में) (शब्दों में)
16. प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को—ऑपरेटिव बैंकों अथव राष्ट्रीयकृत बैंकों से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीका किये जायेंगे। (दिनांक 20.03.2025 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):—
(1) प्रोसेसिंग फीस की धनराशि का विवरणः—
(अ) बैंक डाफ्ट संख्या व दिनांक
(ब) बैंक का नाम
(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि(2) अन्य अनिवार्य अर्हताएँ संबंधित जानकारियाँ:
(2) अन्य आनेपाय जहरादि रायावरा जा रक्तर के 1. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 के नियम–19.1(c) के अनुसार
विकास (संत्रान करें)
2.आपूर्तक ईकाईयों द्वारा प्रदत्त अधिकृत पत्र का विवरण(सलग्न कर)
a ईकार्ट का टर्न ओवर(संलग्न करें)
4.ईकाई द्वारा ईडीपी घोषित/आवेदन किए जाने की तिथि
5. अन्य ब्यौरा(संलग्न करें / उल्लेख करें)
7017
स्थान दिनांक
1.191.220000
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)
आवेदक की प्रास्थिति

आवेदक की घोषणा

61

आवेदक की प्रास्थिति

थोक अनुज्ञापनों (एफ०एल०-2) हेतु शपथ पत्र का संशोधित प्रारूप (वर्ष 2025-26 हेतु)

1.	यह			वि
	शपथकर्ता	पुत्र/पुत्री/पत्नी	निवासी	
			जनपदके	
	थोक अनुइ	नापन हेतु आवेदन किया है।		

- 2. यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है।
- 3. यह कि शपथकर्ता किसी भी मदिरा निर्माता ईकाई नहीं है।
- 4. यह कि शपथकर्ता ने थोक अनुज्ञापन हेतु व्यक्तिगत / फर्म की श्रेणी में आवेदन किया है।
- 5. यह कि शपथकर्ता द्वारा जनपद...... में थोक अनुज्ञापन के लिये केवल एक आवेदन किया है।
- 6. यह कि शपथकर्ता पात्र आवेदक है तथा यह भी कि वह संबंधित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 के प्राविधानों का पालन करेगा।
- 7. यह कि उक्त अनुज्ञापन हेतु शपथकर्ता के पास नियमानुसार आवश्यक परिसर उपलब्ध है।
- 8. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रदेश के अलग- अलग जनपदों में अधिकतम दो एफ०एल०-2 अनुज्ञापन का संचालन किया जाएगा।
- 9. यह कि शपथकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकों संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक औषि एवं मनः प्रभावी अधिनियम-1985 के अंतर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दिण्डत नहीं किया गया है।
- 10. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या मिहला हो। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के आलोक में अधिनियम के प्रयोजनार्थ शपथकर्ता के विक्रेता/पत्नी/लिपिक/पित आदि के कब्जे से पाये गये अवैध मादक पदार्थ अथवा उनके आपराधिक कृत्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- 11.यह कि शपथकर्ता पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकाये दारों की काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।
- 12. यह कि शपथकर्ता राज्य में किसी विदेशी फुटकर मदिरा दुकान का अनुज्ञापी नहीं है।
- 13. यह कि शपथकर्ता ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा। यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है और आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है।
- 14. यह कि शपथकर्ता सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहींहै। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदत्त किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। शपथकर्ता द्वारा मात्र वैध मदिरा के थोक व्यापार का कार्य किया जायेगा। शपथकर्ता द्वारा अपने विकेताओं पर सदैव सतर्क दृष्टि रखी जायेगी।

15. यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025—26, 2026—27 व 2027—28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025—04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के नियमों एवं को भली भाँति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्त कमांक-1 से 15 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो शपथकर्ता का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाया

•	
दिनांक	(हस्ताक्षर शपथकर्ता)
स्थान	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

एफ०एल०-2 अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वित्तीय वर्ष 2025-26

जिला –	लाइसेंस क्रमांक —
1. फर्म /AOP/LLP/PVT.LTD./कंपनी का	- नाम
2. आवेदक का नाम	
3. पिता / पति का नाम	जानवर्ष का
4. आयु	प्रमाणितफोटोग्राफ
5. जन्म तिथिः दिवस/माह/वर्ष//	
6. लिंग-पुरूष/महिला	55-400 5-40000HMCV0HLCV
 फर्म / कंपनी / आवेदक का पैन नम्बर 	
8. आधार कार्ड नम्बर	
 आई०टी०आर० का विवरण 	
10. TIN / GST नम्बर	
11. Email ID (ईमेल आईडी)	
12. Mobile No. (मोबाइल नंबर)	
13. आवेदक का स्थाई पता	
प्रकार राख	
मकान नम्बर	
20 20 300 30	
थाना / पटवारी पट्टी तहसील / उप तहसील	
जिलाउत्तराखण्ड।	
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)	
मोबाईल नम्बर	
14. एफ०एल०—2 का विवरण	
मकान नम्बर	
नगर/मौहल्ला/ग्राम/तोक	
थाना / पटवारी पट्टी	
तहसील/उप तहसील	
जिलाउत्तराखण्ड।	
दूरभाष (लैण्ड लाइन नम्बर)	

प्रारूप – 1
मोबाईल नम्बर
चौहद्दी एवं जियो लोकेशन का विवरण
15. आवेदन का विवरण —
i. अनुज्ञापन शुल्क रूपये (अंको में)(शब्दों में)(शब्दों में)
ii. प्रतिभूति धनराशि रूपये (अंको में)(शब्दों में)
16. प्रोसेसिंग फीस के बैंक ड्राफ्ट का विवरण (उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को—ऑपरेटिव बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों अआवकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के नाम के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किये जायेंगे। (दिनांक 20.00 2025 से पूर्व के बने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे):—
(1) प्रोसेसिंग फीस की धनराशि का विवरणः—
(अ) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक
(ब) बैंक का नाम
(स) बैंक ड्राफ्ट की राशि(2) आवेदन पत्र के साथ संलग्न पहचान व अन्य से सम्बन्धित अभिलेखों का विवरण:—
A P CHANGE WAS A PROCESS OF THE PROPERTY OF TH
1
3
4
धान
देनांक

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

w

आवेदक की घोषणा

में आवेदक	पुत्र/पत्नी/पुत्री	घोषणा करता/करती हॅ	
कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिय	ा गया विवरण मेरी जानकारी में	पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त विवरण	ſ
असत्य या गलत पाया जाये तो मेर	। प्रार्थना पत्र निरस्त करने व ध	रोहर धनराशि जब्त करने में मुझे कोई	5
आपत्ति नहीं होगी। यदि उपरोक्त र्	वेवरण अनुज्ञापन जारी करने के	उपरान्त असत्य या गलत पाया जात	T
है तो, मेरा अनुज्ञापन निरस्त करन	ने योग्य होगा और साथ ही मे	नेरी लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की	Ť
धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी	। मैं इस तथ्य से भिज्ञ हूँ कि 3	ासत्य या गलत विवरण देना दण्डनीर	4
अपराध है। मैं यह भी घोषणा कर	ता / करती हूँ कि अनुज्ञापन हेत्	तु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयव	p
नियमावली–2025 के अन्तर्गत निर्धा	रित समय के भीतर आवश्यक	प्रमाण पत्र जिला आबकारी अधिकार	री
कार्यालय में तथा निर्धारित धनराशि	। भी समयान्तर्गत जमा कर दूँ	गा / दूॅगी। यदि वांछित धनराशि तथ	भा
प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति	में अनुज्ञापन को मेरे जोखिम प	र निरस्त किया जाता है, तो मुझे को	इं
आपत्ति नहीं होगी।	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -		
स्थान			
दिनांक			
3 11 7 11111111111111111111111111111111			

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सतिथि)

आवेदक की प्रास्थिति

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमति / कमारी	
निवासी	पुत्र / पत्नी / पुत्रीएफ०एल०-2
हेत गर्भाग प्राप्त	.एफ०एल०–2
व राजस्व के साथ प्राप्त किय गया। जिसे रजिस्टर के	नीति विषयक नियमावली—2025 में निर्धारित प्रपत्रों क्रमांक पर दर्ज किया गया।
दिनांक	2000 2000 1411
	कार्यालय की सील
जिला आबकारी अधिकारी द्वारा	
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व समय	